

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

संख्या:- 29/14

दायर दिनांक:- 02.04.14

जीसीएमएस नं. 2014/00361

उनवान

पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासी गउशाला बगीची ग्राम कोटडी तहसील
सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली।

—प्रतिवादी


दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

उपरोक्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी
अक्ट 1955 की धारा 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में
वादी वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादी
वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादी एवं
वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादी एवं वादी वकील
को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 29/14 नेमीचंद
सरकार अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

इस निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी

